

प्रेषक,

प्रभारी निदेशक,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार पटना।

सेवा में,

श्री देवेन्द्र कुमार राय एवं अन्य।
ग्राम फुलिया टोला, फुलवारीशरीफ
बिहार, पटना।

विषय:- प्लान केस संख्या-PMAA/PCRN/Bhusaula Danapur/Phulwari shrif/B+G+6,/64/2018 की स्वीकृति के संबंध में।


महाशय,


आपके आवेदन सं०:-PMAA/PCRN/Bhusaula Danapur/Phulwari shrif/B+G+6,/64/2018 दिनांक-28.11.2018 के संदर्भ में श्री देवेन्द्र कुमार राय, एवं अन्य पटना, बिहार के भवन निर्माण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/आयोजना स्कीम/पटना मास्टर प्लान 2031 के आलोक में मौजा- भूसौला दानापुर, थाना- फुलवारी शरीफ, थाना सं०- 40, सर्वे प्लॉट संख्या- 101, खाता सं०- 298 में आवासीय सह-व्यवसायिक भवन B+G+6, (G- Convience Shoping अंश) के स्वीकृतार्थ नक्शा के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

1. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से आवासीय सह- (G-Convience Shoping अंश) भवन प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
3. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 1387.74m² वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा। बेसमेंट में Ventilation हेतु समुचित व्यवस्था बिहार भवन उपनिधि के आलोक में प्रावधान करना होगा।
4. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

For ADDM CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE Pt. 100
DIRECTOR

5. सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्रामपंचायत क्षेत्रों के अधिनरथ पटना मास्टर प्लान 2031 में प्रावधानित 60मी० एवं 27.4मी० चौड़ी सड़क के लिए प्लॉट के सामने 21.15 मी० से 13.91मी० चौड़ी पट्टी 17.70 मी० लंबाई में जिसका क्षेत्रफल, 306.56 वर्गमीटर है, भूमि की पट्टी आवेदक द्वारा छोड़ा गया है। जिसे उपहार के रूप में प्राधिकार को देगा इस पर किसी प्रकार का दावा नहीं होगा और किसी प्रकार का निर्माण नहीं करना होगा।
6. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
7. इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो के अधिकार हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
8. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
9. भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
10. बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।
11. निर्माणकर्ता को प्राधिकार के विनिर्देशों के अनुसार मल जल निकास जल निकास सड़क आदि जैसे संयोजन स्थल पर और स्थल के बाहर आधारभूत संरचना का बिहार भवन उपविधि 8(5) के आलोक में विकास करना होगा।
12. समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेशों एवं नीतियों का विस्तृत रूप में पालन करना अनिवार्य होगा।
13. स्थल पर Rainwater Harvesting का प्रावधान निश्चित रूप से करना होगा।
14. बिहार भवन उपविधि 2014 एवं पटना मास्टर प्लॉन 2031 के साथ DCR में प्रावधानित के अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न कराना होगा।


 22-12-18
 सहायक अभियंता
 पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

विश्वासभाजन,

 प्रभारी निदेशक, 22-12-18
 पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
 पटना।

